



# जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

JMC  
जोधपुर - राजस्थान

क्रमांक - 529

दिनांक - 01/10/2020

I.B.T.(B) 01 / 2020-21

श्री भूदेव देवडा पुत्र स्व. श्री चन्द्रप्रकाश देवडा  
भूखण्ड सं. 67, सेक्टर बी, मसूरिया सेक्शन 4  
शास्त्री नगर, जोधपुर।

## ::- भवन निर्माण आदेश -::

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।  
प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2018।


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक गठित भवन निर्माण एवं सकर्म समिति की बैठक दिनांक 23.07.2019 के प्रस्ताव संख्या 18 (भवन अनुज्ञा) के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 बालकॉनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगे।
- 2 पडोसी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेगे।
- 3 मानचित्र एवं पट्टे में यदि चबुतरी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेगे।
- 4 खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगे।
- 5 स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
- 6 वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 भविष्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेगे।
- 8 भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य मानी जायेगी।
- 10 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
- 11 निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण सावधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12 भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जावेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल भू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत चुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
- 13 भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा भौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आव यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा भौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
- 14 यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्णित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में नास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 3,485/- जांच शुल्क- 1,000/- भवन निर्माण शुल्क- 3,500/- मलबा शुल्क 1,000/- बी.एस.यू.पी. शुल्क- 3,474/- विकास एवं संधारण शुल्क- 16,033/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 5,060/- उपकर- 20,433/- बैटरमेन्ट लेवी- 3,71,448/- कुल राशि- 4,25,433/- जरिये रसीद संख्या 1021/9946 दिनांक 20.12.2019, सुरक्षा एवं अमानत राशि- 3,000/- जरिये रसीद संख्या 1021/9947 दिनांक 20.12.2019 एवं यूडी कर- 11,509/- जरिये रसीद संख्या 9069/9305 दिनांक 30.12.2019 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) वसूल किये जायेगे।

  
02/10/2020

  
उपायुक्त (शहर)  
नगर निगम, जोधपुर